Government of Haryana

Annual Administrative Report

of

Year 2015-16

Administrative Reforms Department, Haryana

Haryana Civil Secretariat, Chandigarh

I N D E X

Sr. No.	Contents	Page No.
1	Introduction	I – II
2.	Business Allocation	1 – 2
3.	Administrative Structure	3
4.	Works and Objects	4 – 5
5.	Administrative Reforms Branch	5
6.	Staff Inspection Unit	5
7.	Delay Checking Unit	6
8.	RTI Cell	6
9.	Research Unit	6
10.	Bodies	
	a) State Information Commission Haryana	7 – 8
	b) Haryana Right to Service Commission	9 -10
11.	Report of State Vigilance Bureau, Haryana	10
12.	Appendices	
	Annexure – 'A' Work Study Statement	11 – 12
	Annexure – 'B' Notified Services Statement	13 – 53

Review of the Annual Administrative Report of the Administrative Reforms Department for the year 2015-16.

The Department of Administrative Reforms is the Nodal Agency of Government of Haryana for carrying out Administrative Reforms. The mission of the Department is to act as a facilitator to improve Government functioning through Systemic Changes, Organization and Methods, Eliminating Delays and Maintaining Punctuality in the offices thereby making the administration more sensitive to the aspirations and needs of the people of the State besides developing a mechanism for redressing their grievances on high priority. In addition to these reformative functions, this Department also conducts Works Studies to examine the requirement of Staff for the Government offices which demand additional posts. To promote proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration at all levels of the Government, the following multipronged strategies are adopted by the Departments:-

i) Formulation and implementation of Citizens Charters
ii) Management Studies
iii) Identification of grievances prone areas and studies for quick remedial action
iv) Management Services
v) Research on general issue of Administrative Reforms
vi) Reduction of corruption, delay and in-differences in the state machinery
vii) Implementation of Right to Information Act, 2005.
viii) All matters relating to the State Information Commission.
ix) Implementation of Right to Service Act, 2014.
x) All matters relating to the Haryana Right to Service Commission.

2. In pursuance of this and in order to promote good governance practices in the State, the Department of Administrative Reforms offers help and advice to the various Government Departments in Management and Organization & Methods activities which include:

i) Minimizing and reducing levels of deliberation in the disposal of office work by introducing Single File System.
ii) Fixing accountability by conducting surprise inspections and review of previous inspections.
iii) Reduction in Paper Work as a result of review, rationalization and simplification of office forms and procedures.
iv) Simplification of rules and procedures so as to reduce the number of occasions and purpose for which a citizen has to visit Government Offices.
v) Regulation of movement of files and other papers by various functionaries of the Government.
vi) Issuance of the instructions and reiteration thereof on different aspects of employees of various Departments to redress their grievances.
vii) Action on the requests made by individuals and employees of various Departments to redress their grievances.

3. The Administrative Reforms Department was created as a separate Department in November, 1983. However, its functions and jurisdiction were notified on March 12, 1988.

4. This Department comprises of five Branches which include:-

i) Administrative Reforms Branch
ii) Staff Inspection Unit
iii) Delay Checking Unit
iv) RTI Cell
v) Research Unit

5. All Heads of Departments were directed to prepare Annual Action Plans for their Departments for the entire year. They were advised to fix month wise targets in the form of calendar of works and jobs of special importance. Administrative Reforms Department has also been assisting the Government Departments to formulate their Citizen Charters with regard to their activities and services so as to enable the Government machinery to deliver quality public services to the citizens in a hassle-free manner and eliminate the causes of grievance through significant standards of performance and a sound grievances redressal mechanism.

6. During the Chief Ministers Conference on Effective & Responsive Government Which was held on May 24, 1997 in New Delhi, the need to enact the law on Right to Information was recognized unanimously. The Freedom of Information Act, 2002 received the assent of President of India. Thereafter, the Central Government framed the Right to Information Act, 2005. This Department also implemented the Right to Information Act, 2005 in the State and established the State information Commission, Haryana also.

7. To provide for the delivery of service to eligible person within the notified time limits and for matters connected therewith and incidental thereto of all Departments/ Organizations concerned. This Department also implemented the Right to Service Act, 2014 in the State and established the Haryana Right to Service Commission also.

8. There is no pending case in Administrative Reforms Department relating to vigilance enquiry.

9. Shri D. S. Dhesi, IAS, Chief Secretary to Government, Haryana and Sh. Rajiv Ranjan, IAS, Secretary to Government, Haryana held the office in Administrative Reforms Department during the year while the office of Under Secretary was held by Shri Lilu Ram.

Sd/-
(D. S. Dhesi)
Chief Secretary to Government Haryana
Administrative Reforms Department.

Chandigarh, Dated
04.07.2017

प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा राज्य में प्रशासकीय सुधार लाने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग, प्रशासन सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रदेश के लोगो की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार प्रशासन को और अधिक सचेत करने के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए एक तंत्र विकसित करके यह विभाग प्रणालीगत परिवर्तन, संगठन और पद्वतयों के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाने, विलम्ब रोकने तथा नियमितता बनाये रखने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुधारत्मक कार्यों के अतिरिक्त यह विभाग सरकारी कार्यालयों के अमले की आवश्यकता के लिए जहां अतिरिक्त पदों की मांग की गई है। उनके कार्य का अध्ययन तथा जांच करता है। सरकार में सभी स्तरों पर कारगर कार्यवाही उत्तरदायित्व, स्थायी और कुशल प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इस विभाग द्वारा निम्न बहुआयामी नीतियां अपनाई जाती हैः–

1) नागरिक अधिकार पत्रों को बनवाना व लागू करना ।
2) प्रबन्धन अध्ययन ।
3) शिकायती क्षेत्रों की पहचान तथा उचित कार्यवाही हेतु अध्ययन ।
4) प्रबन्ध सेवाएं ।
5) प्रशासकीय सुधारों के सामान्य मुद्वों पर अनुसंधान आदि।
6) सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, देरी तथा कार्य के प्रति उदासीनता को कम करना ।
7) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करना ।
8) हरियाणा राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित सभी मामले ।
9) सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू करना ।
10) हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित सभी मामले ।

2. राज्य में सुशासन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग सरकार के विभिन्न विभागों तथा ओ0 एण्ड एम0 गतिविधियों के लिए सहायता तथा मन्त्रणा प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैः–

1) कार्यालयों में कार्य निपटान स्तर कम करने हेतु इकहरी मिसल प्रणाली को अपनाया जाना।
2) जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा करना ।
3) कार्यालय तथा कार्य प्रणाली के सरलीकरण हेतु कागजी कार्यवाही को कम करने का तरीका ।
4) सरकारी कार्यालय में नागरिकों के किसी उद्वेश्य से बार–बार आने के अवसरों को कम करने के लिए नियमों का सरलीकरण करना ।
5) सरकारी कार्यालयों में मिसल/कागजों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने की प्रक्रिया को नियमित करना ।
6) हरियाणा राज्य के सभी सरकारी कार्यालर्यों को समय–समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए निर्देश जारी करना ।

7) निजी तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पर शिकायतों का निवारण करने बारे कार्यवाही करना ।

3. प्रशासकीय सुधार विभाग की स्थापना नवम्बर, 1983 में एक पृथक विभाग के रूप में की गई थी लेकिन इसके कार्य और सेवा अधिकार की सूचना 12 मार्च, 1988 को जारी की गई।

4. इस समय विभाग की पांच निम्न शाखांए हैः–

(1) प्रशासकीय सुधार शाखा
(2) अमला निरीक्षण इकाई
(3) विलम्ब जांच इकाई
(4) आर0टी0आई0 सैल
(5) अनुसंधान इकाई

5. सभी विभागाध्यक्षों को उनके पूरे वर्ष के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए तथा उन्हें सलाह दी गई कि वह अनुभाग एंव स्कीम के हिसाब से तथा विशेष महत्व के कार्य के लिए प्रशासकीय विभाग सुधार मासिक लक्ष्य निर्धारित करें। राज्य के सभी विभागों को अपने नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने में भी सहायता कर रहा है ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके।

6. 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी व उत्तरदायी सरकार' में सर्व सम्मति में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई । स्वतंत्रता के अधिकार नियम, 2002 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना दिया गया। इस विभाग द्वारा भी प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया और राज्य सूचना आयोग हरियाणा भी बनाया गया।

7. सभी विभागों/संगठनों द्वारा पारिपालित की जा रही विभिन्न जन सेवा स्कीमों का समय पर लाभार्थी को लाभ मिल सके या समय पर लोक कार्यों का निपटान करने हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू किया गया है। इस अधिनियम को अच्छे ढंग से परिपालित करने हेतु हरियाणा सेवा का आयोग का भी गठन किया गया है।

8. प्रशासकीय सुधार विभाग में चौकसी की जांच से सम्बन्धित कोई केस लम्बित नही है।

9. इस वर्ष श्री डी0 एस0 ढेसी, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व श्री राजीव रंजन, भा0प्र0से0 सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत रहे और श्री लीलू राम बतौर अवर सचिव, प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्य किया है।

हस्ता0
(डी0 एस0 ढेसी)
मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग।

चण्डीगढ, दिनांक
04.07.2017

प्रशासकीय सुधार विभाग की प्रशासकीय संरचना

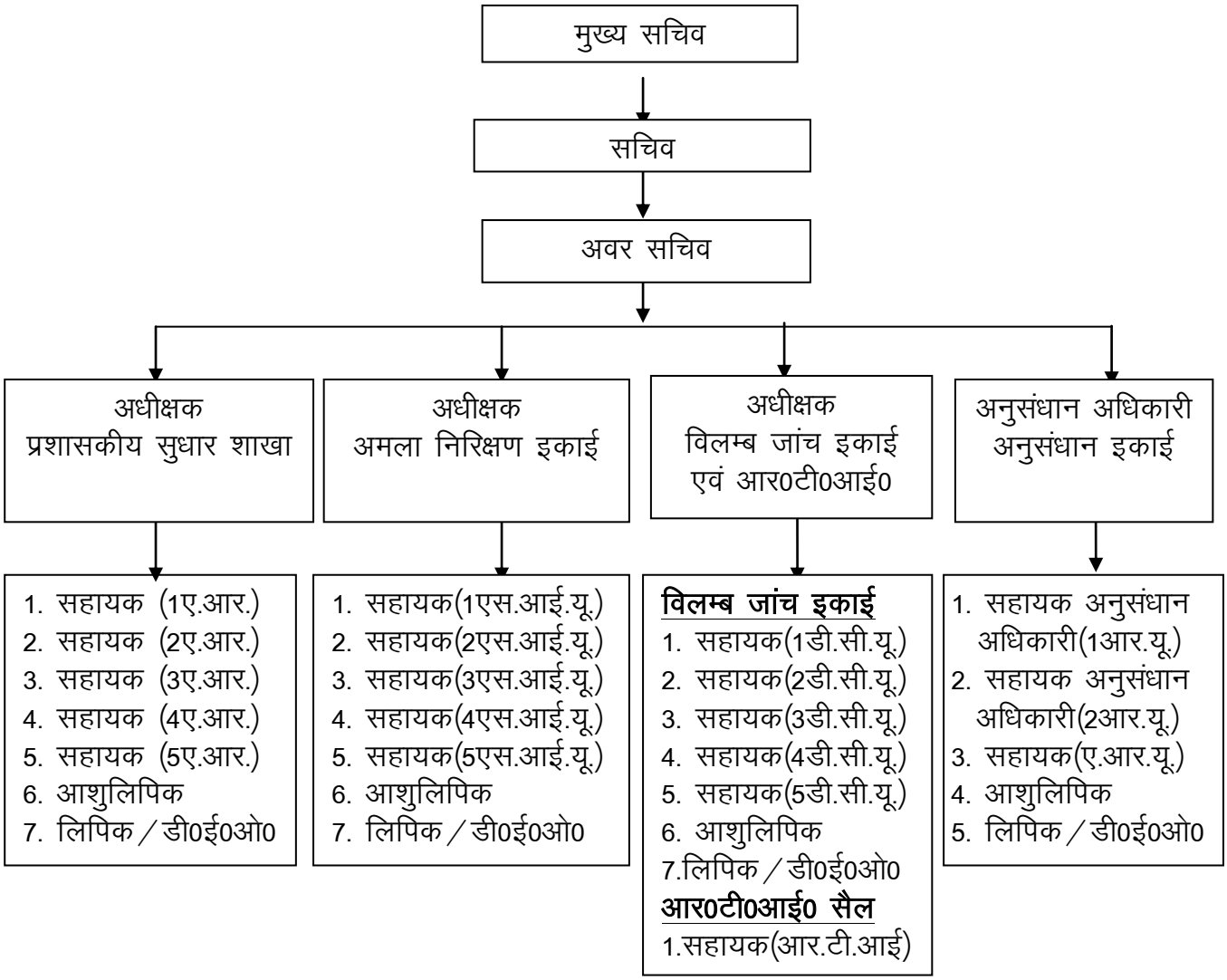

प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट

प्रशासकीय सुधार विभाग की पांच शाखाएं है अर्थात् प्रशासकीय सुधार शाखा, अमला निरीक्षण इकाई, विलम्ब जांच इकाई, सूचना का अधिकार सैल तथा अनुसंधान इकाई है। श्री डी0 एस0 ढेसी, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एंव श्री राजीव रंजन, भा0प्र0से0, सचिव, हरियाणा सरकार वर्ष 2015–16 में प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत रहे है और उनके कार्यों में उनकी सहायता करने के लिए श्री लीलू राम, अवर सचिव कार्यरत रहे है।

कार्य तथा उद्देश्य

1. सभी राज्यों तथा उत्तर क्षेत्रीय परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यन्वित करना।
2. भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यन्वित करना।
3. राज्य सरकार के कर्मचारियों की युनियनज, एसोसियेशनस को मान्यता देने बारे तथा नीति बनाना।
4. हरियाणा सिविल सचिवालय तथा वित्तायुक्त राजस्व के कार्यालय में लम्बित मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना।
5. लम्बित मामले जिनमें विशेष तौर से देरी की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है, उनका निरीक्षण करना।
6. सभी राज्यों के कार्मिक एंव प्रशासकीय सचिवों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7. सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिए गये निर्णयों को कार्यन्वित करना।
8. सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों का मूल्यांकन करना।
9. सचिवालय अनुदेशों को अप–टू.डेट करना।
10. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपस्थिति व लम्बित मामलों का आकस्मिक निरीक्षण करना।
11. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी सेवा स्कीमों को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित करवाने हेतु बार–बार पत्र लिखे जा रहे है।
12. सेवा स्कीमों को ई–सेवा के अधीन लाने हेतु भी इस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
13. हरियाणा सिविल सचिवालय तथा वित्तायुक्त राजस्व कार्यालयों की शाखाओं का निरीक्षण करना।
14. अनुसंधान इकाई द्वारा राज्य के सभी विभागों को उनके नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने के बारे में निर्देश दिए जाते है, ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। इस यूनिट द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के प्रचार मोनिटरिंग तथा समीक्षा के बारे में पग उठाए हैं इस उद्देश्य के लिए हिदायतें जारी करना है।
15. अवकाश के दिनो में रविवार को छोडकर प्राप्त बहुत आवश्यक तत्काल सन्दर्भों के निपटान बारे अक्सर सचिवों की ड्यूटी करना और सचिवों की ड्यूटी लगाना।
16. पद्धति प्रणालीयों का सरलीकरण करने के लिए तरीकों का सुझाव देना ताकि जनहित सेवाएं प्रदान करने में जनता को अधिक संतुष्टि मिल सके।
17. कटिंग एज आफ एडमिनिस्टेशन को कार्यान्वित करना।

18. राज्य की विभिन्न विभागों के अनुपयोगी स्टेटमैन्ट रिटर्नज फार्मस को समाप्त करना।
19. प्रशासकीय सुधार के क्षेत्र की गतिविधियों के बारे दूसरे राज्यों से प्राप्त प्रकाशनों का अध्ययन तथा निपटान करना।
20. राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का अध्ययन तथा निपटान करना।
21. विभिन्न विभागों के कार्य करने के तौर तरीकों में सुधार लाने हेतु कार्य व प्रबंध का गहन अध्ययन करना तथा तैयार किए गए प्रस्तावों को लागू करने हेतु उचित पग उठाना।
22. रिकार्ड के रख–रखाव बारे हिदायतें जारी करना।

प्रशासकीय सुधार शाखा

प्रशासकीय सुधार शाखा, प्रशासकीय सुधार विभाग की तालमेल शाखा है। इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य प्रबन्ध सेवाओं कार्यकुशलता कार्यालय में नियमितता तथा कार्य निपटाने में देरी को समाप्त करने बारे आवश्यक हिदायतें जारी करना सचिवालय हिदायतों को अप–टू–डेड करना, छः मास से अधिक पुराने लम्बित पडे केसों के बारे में सूचना एकत्रित करना, दूसरी राज्य सरकारों एंव भारत सरकार में हुई उपलब्धियों के बारे सूचनाओं का आदान प्रदान करना एंव सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को राज्य में पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने बारे विशेष पग उठाना तथा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी करना एंव आवश्यकता अनुसार संशोधन करवाना है। इस शाखा द्वारा अधिनियम की पालना हेतु दिनांक 21.12.2009 को नियमावली की अधिसूचना की गई। इस अवधि के दौरान दिशा–निर्देशो की पालना करवाने हेतु विभिन्न हिदायातें जारी की गई है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की अधिसूचना दिनांक 26.03.2014 को की गई तथा इसको प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए 1 जुलाई, 2014 को नियमावली की अधिसूचना जारी की गई ताकि सेवाओं का लाभ आम लोगों को समय पर मिल सके। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 से आवेदन फीस की राशि 50/–रू0 को 10/–रू0 करवाया गया।

अमला निरीक्षण इकाई

यह इकाई कार्यालयों के लिए अमले की आवश्यकता की जांच करने के लिए कार्याध्ययन करता है जब भी किसी विभाग/संगठन के कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त पदों की मांग की जाती है तब उस विभाग में निर्धारित अवधि के दौरान इस इकाई द्वारा कार्याध्यन किया जाता है। वर्ष 2015–16 में रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान छः विभागों का निरीक्षण किया गया और उनके कार्यालयों एंव सचिवालय की 21 शाखाओं का कार्याध्ययन किया गया। (इस सम्बन्ध में अनुबन्ध–ए0 देखें) ।

विलम्ब जांच इकाई

विलम्ब जांच इकाई का मुख्य कार्य हरियाणा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों एंव मुख्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करना है। यह शाखा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुदेशों की अनुपालना और किसी कर्मचारी द्वारा उनका अनुपालन न करने पर उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करना सुनिश्चित करती है। यह अनुभाग निरीक्षण के दौरान मिले मामलों में उनमें होने वाले अंतिम निर्णय तक अनुगामी कार्यवाही करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस अनुभाग ने प्रशासकीय सुधार शाखा से मिलकर यादद्च्छिक आधार पर कार्यालयों का निरीक्षण किया। इन केसों के अध्ययन उपरांत विलम्ब के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने बारे विभागों को सिफारिशें भेजी गई।

सूचना का अधिकार सैल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए लोगों से प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं द्वितीय अपीलों के प्रतिवेदनों को सम्बन्धित सभी विभागों/बोर्डों/निगमो /सगठनों को हस्तान्तरित किये जाते है तथा हरियाणा सूचना आयोग सें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाली प्राप्त होने द्वितीय अपीलों पर सरकार की तरफ से कार्यवाही करते हुऐ केसों का निपटान भी इस सैल द्वारा करवाया जाता है। वर्ष 2015 में 1102 आवेदनों का निपटान किया गया, 105 प्रथम अपीलों का निपटान करवाया गया तथा 18 द्वितीय अपीलों का निपटान किया गया।

अनुसंधान इकाई

अनुसंधान इकाई द्वारा भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु भेजना तथा प्राप्त सूचनाओं से संकलित/समग्र रिपार्ट तैयार करना है। राज्य के सभी विभागों/संगठनों को उनके नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने के बारे में निर्देश दिए जाते है, ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। इस यूनिट द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के प्रचार मोनिटरिंग तथा समीक्षा के बारे में पग उठाए गए हैं, इस उद्देश्य के लिए हिदायतें जारी करना है। प्रधान मन्त्री अवार्ड से सम्बन्धित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों/संगठनों/ निगमों/संस्थानों के नामों की शिफारिश भारत सरकार को करना। और उक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार व अन्य राज्यों के साथ होने वाली बैठकों हेतु मामला प्रस्तुत करना है। इस अवधि के दौरान सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014, के तहत 21 विभागों/बोर्डों/निगमों की 225 सेवाओं को अधिसूचित की गई ताकि सरकार की सेवाओं का लाभ आम लोगों को समय पर मिल सके। (इस सम्बन्ध में अनुबन्ध–बी0 देखें) ।

हरियाणा राज्य सूचना आयोग

24 मई, 1997 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी व उत्तरदायी सरकार' में सर्व सम्मति में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई । स्वतंत्रता के अधिकार नियम, 2002 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना दिया गया। प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा भी प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया हुआ है जिसका मुख्य कार्यालय एस0सी0ओ0 70–71, सैक्टर 8सी0, मध्य मार्ग, चण्डीगढ में स्थापित किया हुआ है। इस आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों के कार्यों के निपटान हेतु द्वितीय अपीलों के केसों की सुनवाई करने के लिए एक मुख्य सूचना अयुक्त एंव 10 राज्य सूचना आयुक्तों की के पद स्वीकृत करवाये गये है तथा केसो को समय पर निपटान हेतु कर्मचारियों एंव अधिकारियों के कुल 40 पद सृजित करवाये हुए हैं।

वर्ष 2015–16 से आयोग द्वारा विडियों कान्फ्रैनसीगं से भी केसो की सूनवाई की जा रही है। वर्ष 2015 में आयोग के पास गत वर्ष के शेष सहित कुल 10070 केस थे जिसमें से 8675 केसों का निपटान किया गया । वर्ष 2015 में आयोग द्वारा प्राप्त द्वितीय अपीलों के निपटान करने पर लगाये गये जुर्माना करवाई गई क्षतिपूर्तियां और दण्डनातमक केसों की सूची निम्न प्रकार से है:–

धारा 20(1) के तहत		धारा 19(8) (बी)		धारा 20(2)
केसो की संख्या	जुमार्न की राशि (रूपयों में)	केसो की संख्या	दिलाई गई क्षतिपूर्ति की राशि (रूपयों में)	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजे गये केसों की संख्या
625	63,44,000	421	11,42,450	157

वर्ष 2015–16 में 692.00 लाख रूपये आबंटित किये गये थे जिसके विरूद्ध 675.48 लाख रूपये खर्च किये गये।

वर्ष 2015–16 में हरियाणा राज्य सूचना आयोग में कार्यरत रहे मुख्य सूचना आयुक्त एंव सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तथा सेवानिवृत्त की तिथि का ब्यौराः–

क्र0सं0	नाम एंव पद संज्ञा	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृत्त
1	श्री नरेश गुलाटी, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), मुख्य आयुक्त	20.05.2011	20.05.2016
2	श्रीमति उर्वशी गुलाटी, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	01.04.2012	22.03.2017
3	मेजर जनरल जे0एस0 कुन्डू, (सेना से सेवानिवृत्त), आयुक्त	03.09.2012	02.09.2017
4	श्री प्रलाहद राय मीणा, आई0पी0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	03.09.2012	14.08.2017
5	श्री समीर माथूर, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	01.11.2013	24.08.2018
6.	श्री योगेन्द्रपाल गुप्ता (पत्रकार), आयुक्त	01.11.2013	08.07.2018
7.	श्री हेमन्त अत्रे (पत्रकार), आयुक्त	01.11.2013	31.10.2018
8.	श्री शिव रमन गौड, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	27.07.2014	02.04.2019
9.	श्रीमति रेखा (शिक्षक) आयुक्त	27.07.2014	26.07.2019

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

भारत सरकार द्वारा सैद्वान्तिक रूप से ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया गया था कि नागरिको को एक समयबद्व अवधि में सेवायें देना सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में श्री नारायणसामी, राज्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली सें प्राप्त अर्थसरकार पत्र क्रमांक ए0–15013/2/2011–पी0जी0 (वाल्यूम–2)पार्ट दिनांक 17/11/2011 के साथ प्राप्त भारत सरकार का नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक 2011 की प्रति प्राप्त हुई थी और दिनांक 30.12.2011 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाकर निणर्य लिया गया कि हरियाणा राज्य में सेवा के अधिकार अधिनियम को तुरन्त कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि राज्य में नागरिको की आकाक्षांओ के अनुरूप एक निश्चित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता तंत्र पर कानून का सकारात्मक दबाव पड सके।

हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2013 को एक अध्यादेश नामतः हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश, 2013 जारी किया गया था। तदोपरान्त हरियाणा विधान सभा सत्र में दिनांक 26.03.2014 को हरियाणा राज्य में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 जारी किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 का उद्देश्य राज्य की जनता को समयबद्ध तरीके से सेवायें प्रदान करने से है । इस अधिनियम की धारा 13 (1) के अन्तर्गत जुलाई, 2014 में गठित आयोग का कार्यालय एस0सी0ओ0 38–39, दूसरा एवं तीसर तल, सैक्टर 17 ए0, चण्डीगढ में स्थापित किया हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अभिनाम अधिनियम के अधीन नियम भी बनाये गये है। अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एतद् द्वारा अपने कार्यों के प्राभावशाली प्रबन्धन के लिए विनियम बनाए है। यह विनियम हरियाणा सेवा आयोग (प्रबन्धन) विनियम–2015 कहे जाते है। इस आयोग के विनियम के अन्तर्गत एक मुख्य आयुक्त तथा 4 आयुक्तों के पद स्वीकृत करवाये गये है तथा केसो को समय पर निपटान हेतु कर्मचारियों एंव अधिकारियों के कुल 44 पद सृजित करवाये हुए हैं।

वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए0आर0 द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली 225 सेवायें अधिसूचित की गई है। वर्ष 2015–16 में आयोग के पास गत वर्ष के शेष सहित कुल 11 केस थे जिसमें से 10 केसों का निपटान किया गया । वर्ष 2015–16 में आयोग द्वारा प्राप्त द्वितीय

अपीलों के निपटान करने में एक व्यक्ति पर 20000 रूपये का जुर्माना/क्षतिपूर्तियां/दण्डनातमक स्वरूप लगाये गये है।

वर्ष 2015–16 में आयोग के कार्यालय को 421.50 लाख रूपये आबंटित किये गये थे जिसके विरूद्ध 237.59 लाख रूपये खर्च किये गये थें।

वर्ष 2015–16 में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में कार्यरत रहे मुख्य आयुक्त एंव आयुक्तों एंव उनकी नियुक्ति तथा सेवानिवृत्त की तिथि का ब्यौराः–

क्र0सं0	नाम एंव पद संज्ञा	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृत्त
1	श्री एस0 सी0 चौधरी, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), मुख्य आयुक्त	01.08.2014	05.04.2019
2	श्री सरबन सिंह, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	27.07.2014.	26.07.2019
3	लै0 जनरल वी0एस0 टोंक, (सेवानिवृत्त), आयुक्त	01.08.2014	04.10.2016
4	श्री सुनिल कत्याल, आयुक्त	27.07.2014	15.04.2019
5	डॉ0 अमर सिंह, आयुक्त	27.07.2014	26.07.2019

राज्य चौंकसी विभाग की रिपोर्ट

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भ्रष्टाचार का कोई मामला दर्ज नही हुआ है । अतः इस विभाग से विषयांकित मामले की सूचना शुन्य है।

अनुबन्ध– ए

अमला निरीक्षण इकाई द्वारा दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक किये गये कार्याध्ययन/ निरीक्षण की सूची निम्न प्रकार से है :–

क0 स0	विभाग/शाखा का नाम	कार्याध्ययन की अवधि	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्याध्ययन के आधार पर सिफारिश किए गए पद	कार्याध्ययन के आधार पर सरप्लस किए गए पद	विशेष कथन
1	गृह–1 शाखा	04.05.2015 से 08.05.2015	06	02	....	....
2	महाधिवक्ता हरियाणा	25.05.2015 से 30.05.2015 तथा 06.07.2015 से 11.07.2015	30	19	....	.....
3	हरियाणा सिविल सचिवालय की गृह–iii शाखा	15.06.2015 से 19.06.2015	05	....	02	....
4	गृह–4 शाखा	22.06.2015 से 26.06.2015	–	....	....	....
5	वन शाखा न्यू सचिवालय	13.07.2015 से 17.07.2015	11	06	....	....
6	खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग	03.08.2015 से 07.08.2015	–	14	....	इन पदों द्वारा सचिवालय स्तर पर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की शाखा गठित की गई है।
7	निदेशक श्रम विभाग	10.08.2015 से 14.08.2015	–	....	....	अतिरिक्त पदों का औचित्य नही पाया गया ।
8	खान एवं भू–विज्ञान विभाग	14.09.2015 से 18.09.2015	455	125	–	मामला माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के पास विचाराधीन है।
9	हरियाणा सिविल सचिवालय की सामान्य सेवायें–iii शाखा	02.11.2015 से 06.11.2015	04	01	....	स्वीकृत पदो के अतिरिक्त किसी अन्य पद का औचित्य नही पाया गया।
10	शिकायतें शाखा	4.1.2016 से 8.1.2016	03	01	–	
11	गुरूदवारा शाखा	4.1.2016 से	02	–	–	

		8.1.2016				
12	उद्योग शाखा –1	4.1.2016 से 8.1.2016	04	–	–	
14	उद्योग शाखा –II	4.1.2016 से 8.1.2016	04	–	01	
15	चौकसी शाखा –1	18.1.2016 से 22.1.2016	05	–	–	
16	चौकसीशाखा –II	18.1.2016 से 22.1.2016	04	01	–	
17	पासपोर्ट शाखा	18.1.2016 से 22.1.2016	03	–	–	
18	विद्युत शाखा	18.1.2016 से 22.1.2016	05	–	01	
19	वित्त शाखा –I	8.2.2016 से 11.2. 2016	05	–	–	
20	वित शाखा –II	8.2.2016 से 11.2. 2016	05	01	–	
21	वित शाखा –III	8.2.2016 से 11.2.2016	05	01	–	
22	वित सामान्य–I	8.2.2016 से 11.2. 2016	05	02	–	
23	योजना शाखा	15.2.2016 से 19.2.2016	03	–	02	
24	वित्त विनियम	15.2.2016 से 19.2.2016	05	02	–	
25	वित्त लेखा	15.2.2016 से 19.2.2016	05	01	–	
26	वित सामान्य–II	15.2.2016 से 19.2.2016	05	02	–	
27	निगरानीएवं समन्वय प्रकोष्ठ शाखा	8.3.2016 से 11.3.2016	04	–	–	

अनुबन्ध– बी

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016, तक विभिन्न विभागो की सेवाये अधिसूचित की गई है जो निम्न प्रकार से है।

अनुसूची

सेवायें क0स0	क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
	1	2	3	4	5	6	7
1	1.	राजस्व	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि	1 दिन	डयूटी पटवारी–1	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
2			(ii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से कम है)	2 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
3			(iii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से अधिक किन्तु 15 से कम है)	3 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट

4			(iv) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 15 से अधिक है)	7 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
5	2.	राजस्व	भूमि का सीमांकन यदि खडी फसल नही खडी तो	45 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
6	3.	राजस्व	सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अर्थात् विक्रय, जी. पी.ए. भागीदारी विलेख इत्यादि	1 दिन	उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
7	4.	राजस्व	सभी प्रकार के पूर्व रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ	7 दिन	उप–रजिस्ट्रार या संयुक्त उप–रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
8	5.	राजस्व	अविवादित इन्तकाल का सत्यापन	30 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
9	6.	राजस्व	भूमि का निजी बटवारा भूमि स्वामियों की आपसी सहमति	60 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
10	7.	राजस्व	आय प्रमाण–पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
11	8.	राजस्व	क्षेत्र/उत्तराधिकार/ आश्रित प्रमाण –पत्र/प्रतिहस्ताक्षर इत्यादि	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
12	9.	राजस्व	रहन प्रथम प्रभार (मोटगेज फर्स्ट चार्ज)	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
13	10.	राजस्व	हस्तातरण विलेख का रजिस्ट्रेशन	1 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
14	11.	राजस्व	पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में रूपांतरण	30 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
15	12.	राजस्व	अनुसूचित जाति प्रमाण –पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

16	13.	राजस्व	पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
17	14.	राजस्व	अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण –पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
18	15.	राजस्व	विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण –पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
19	16.	राजस्व	टपरीवास प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
20	17.	राजस्व	विमुक्त जाति प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
21	18.	राजस्व	आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जाति प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
22	19.	राजस्व	आवास प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
23	20..	राजस्व	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण–पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
24	21.	खाद्य एव औषध प्रशासन	औषध निर्माण अनुज्ञा का नवीनीकरण	45 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
25	22.	खाद्य एव औषध प्रशासन	बल्क दवाओ/ योगों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी कराना	15 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग ।
26	23.	स्वास्थ्य	जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां –ग्रामीण क्षेत्र(पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्षो के लिए	14 दिन 30 दिन	जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्य सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/ सम्बद्ध जिले के उप सिविल सर्जन(जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार जन्म तथा मृत्यु– सम्बद्ध जिले का सिविल सर्जन	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
27	24	स्वास्थ्य /शहरी स्थानीय निकाय	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण पर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण(घटना के एक वर्ष बाद)	60 दिन (रजिस्ट्रार , जिला रजिस्ट्रार तथा सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक के लिए 20 दिनं)	सम्बद्ध रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार	सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

28	25.	स्वास्थ्य /शहरी स्थानीय निकाय	जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र (नाम प्रविष्टि तथा नया जन्म प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां)	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं उप सिविल सर्जन, जो भी लागू हो।	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
29	26.	स्वास्थ्य	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के बाद जन्म तथा मृत्यु की प्रविष्टि का शुद्धिकरण	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/ यथा लागू जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
30	27.	स्वास्थ्य/ शहरी स्थानीय निकाय	(i) जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां–नगर निगम शहर **चालू वर्ष के लिए** **पहले से ही पंजीकृत** (ii) जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां–नगर कस्बों **चालू वर्ष के लिए** **पहले से ही पंजीकृत**	14 दिन 30 दिन 7 दिन 15 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु) सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध उप–मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
31	28.	शहरी स्थानीय निकाय	जल आपूर्ति तथा मलवहन कनैक्शन (केवल नगर निगम गुड़गांव तथा फरीदाबाद में लागू)	7 दिन	सम्बद्ध नगर निगम में सहायक अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में कार्यकारी अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता
32	29.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी, सम्बद्ध नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध नगर पालिका समिति में सचिव	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध जिला का उपायुक्त
33	30.	शहरी स्थानीय निकायय	नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त

34	31	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगमों द्वारा व्यावसाय अनुज्ञप्ति का नवीकरण	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
35	32.	शहरी स्थानीय निकाय	गलियों/सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक, सम्बद्ध नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका समिति में सफाई निरीक्षक	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति के मामले में सचिव	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी
36	33.	शहरी स्थानीय निकाय	स्ट्रीट लाईट्स का प्रतिस्थापन	10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में नगर पालिका अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में अधीक्षक अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्बद्ध उपमण्डल का उप मण्डल अधिकारी
37	34.	शहरी स्थानीय निकाय	वाटर लिकेज/सिवरेज ब्लाक्ड/ओवर फ्लो (नगर निगम गुड़गांव तथा फरीदाबाद के मामले में)	2 दिन	नगर निगम गुडगाव या फरीदाबाद के सम्बन्ध में निगम शहरों में सहायक अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगाव के मामले में कार्यकारी अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगाव के मामले में अधीक्षक अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता
38	35.	शहरी स्थानीय निकाय	(i) 1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगो के सिवाय सभी उपयोगो तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी सीनीय निकाय	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध उपमण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी सीनीय

			स्वीकृत भवन योजना				निकाय विभाग
39			(ii) 1000 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगो के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
40			(iii) 5000 वर्गमीटर तथा से अधिक के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगो के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
41			(iv) नगर पालिका गुड़गांव तथा फरीदाबाद में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन (5 एकड़ तक)	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुड़गांव /फरीदाबाद	आयुक्त नगर निगम गुड़गांव /फरीदाबाद	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
42			(v) 5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुड़गांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर निगमों/ परिषदों/समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीयनिकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीयनिकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार

43	36.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति सिवाय उन मामलों में जहां सरकार की सक्षमता है	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
44	37.	शहरी स्थानीय निकाय	अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनकरण	15 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप– मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

45	38	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) जारी करनाः– क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के होटल (ए–5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी–I) ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी–I से डी–V) ड)4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मर्केटाइल	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप– मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

			और व्यपार भवन (इ, एफ–1 एण्ड एफ–2) च) औधोगिक भवन (जी) (i) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र कम खतरनाक (जी–1) (ii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (साधारण खतरनाक (जी–2) (iii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी–3) (छ)उंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)				
46	39	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)जारी करनाः– (क) आवासीय भवन (ए):– i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक की शयनशाला (ए–3) तथा फलैट गृह (अपार्टमैन्ट हाउस)(ए–4) ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	नगर निगम के मामले में अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग जबकि नगर परिषद द्वारा समितियों के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।

			के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के होटल (ए–5) (ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (बी) (ग)संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिग होम (सी–1) ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल(सी–2) (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल (सी–3) (घ)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी–1 से डी–5) (ड.)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मर्केटाईल और व्यापार भवन (ई, एफ–1 तथा एफ–2) (च)औधोगिक भवन(जी)				

			(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के कम खतरनाक (जी–1) औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी–2) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के साधारण खतरनाक (जी–2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ)औधोगिक भण्डारण भवन(एच) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के प्लाट सहित 15 मीटर से कम उचाई के भण्डारण भवन ।				
47	40.	शहरी स्थानीय निकाय	क्रम संख्या 38 तथा 39 में न आने वाले भवनों के मामले के राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) जारी करना।	60 दिन	अग्नि अधिकारी मुख्यालय	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग।
48	41.	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप– मण्डल	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर

			मामले में अग्निशमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरणः– क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के होटल (ए–5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी–I); ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परिक्षक)(सी–2) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल(सी 3) घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी 1 से डी 5), ड 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मरकाटाईल एवं व्यापार भवन (इ, एफ–1 एवं एफ–2) च) औधोगिक भवन (जी) (i) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर			का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

			तक का प्लाट क्षेत्र (कम खतरनाक (जी–1) (ii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (साधारण खतरनाक) (जी–2) (iii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी–3) छ)उंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)				
49	42.	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)जारी करनाः– (क) आवासीय भवन (ए):– (i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक नही की शयनशाला (ए–3) तथा फलैट गृह (अपार्टमैन्ट हाउस)(ए–4) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के होटल (ए–5) (ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (बी)	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग। नगर समिति तथा परिषद के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय ।

			(ग)संस्थागत भवन (सी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिग होम (सी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम उंचाई कसटोडियल (सी–2)और पैनल एवं पैलैन्टल (सी–3) (घ)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी–1 से डी–5) (ड.)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ–1 तथा एफ–2) (च)औधोगिक भवन (जी) (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी–1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट				

			क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी–2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी–3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के भण्डारण भवन (एच)				
50	43.	शहरी स्थानीय निकाय	41 तथा 42 में न आने वाले भवनों के मामलों में राष्ट्रीय भवन को नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि शमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण।	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास
51	44	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन/मृत्यु मामले के सिवाए	15 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप–मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
52	45	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन/मृत्यु मामले में	45 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप–मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त

53	46	आबकारी तथा कराधान विभाग	हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम 2007 (2007 का 23) के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना	15 दिन	सबंधित आबकारी तथा कराधान अधिकारी–एवं–निर्धारण प्राधिकारी	संबंधित जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	स्बंधित रेंज का संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त
54	46 (क)	आबकारी तथा कराधान विभाग	पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम संख्या 16) तथा इसके अधीन बनाये गये नियमो के अधीन पंजीकरण / अनुमति पत्र प्रदान करना	15 दिन	संबंधित जिले को मनोरंजन आबकारी अधिकारी	संबंधित जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	स्बंधित रेंज का संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त
55	47	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग विभाग	पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल जारी करना	3 दिन	सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
56	48.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति के कनैक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
57			(ii) शहरी तथा एम सी शहर में सीवरेज के कनैक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
58	49.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) वाटर रिसाव/ पाईप से ओवरफलो	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
59			(ii) सीवरेज में रूकावट /मेन होलों में से बाहर सीवर का पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
60			(iii) जलापूर्ति सुचारू करना जो कि छोटी गडबडी जैसे कि पम्पपिंग मशीनरी, बिजली की तार, वितरण प्रणाली में खराबी इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो।	3 दिनं	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
61			(iv) जलापूर्ति में बडी बाधाओं	6 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल	जन स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धित कार्यकारी	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक

			को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का जलना और एलटी/एच टी लाईनों में बाधा		अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता
62			(v) जलापूर्ति में बडी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाऐं जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक/मुरम्मत की जानी है।	10 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
63	50.	विद्युत	नार्मल फ्यूज ऑफ कॉल **शहरों तथा कस्बों में**	4 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
64			**ग्रामीण क्षेत्र में**	16 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
65	51.	विद्युत	**ओवरहैड लाईन ब्रैकडाऊन्स** शहरों तथा कस्बों में	8 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
66			ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
67	52.	विद्युत	**ब्रैकेज पोल्स के कारण ओवरहैड लाईन ब्रैकडाऊन्स** शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
68			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
69	53.	विद्युत	**अन्डरग्रान्ड कैबेल्स ब्रैकडाऊन्स** शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
70			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
71	54.	विद्युत	**डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉरर्मर फैलियुर** शहरों तथा कस्ब	24 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
72			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)

73	55.	विद्युत	मैजर पॉवर फैलियुर इन्वाल्विंग पॉवर ट्रांसफॉर्मर / इक्युपमैन्ट प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति फिर से चालू करने के लिए रददोबदल प्रबन्धन	7 दिन 24 घंटों	एक्स0ई0एन0 / कन्सट्रकशन	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी0ई0 (ओ0पी0)
74	56	विद्युत	**शैडयूल्ड आऊटैज की अवधि** (क) सिंगल स्ट्रैच में अधिकतम अवधि	किसी दिन में आठ घंटे से अधिक नहीं	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
75			(ख) रेस्टोरेशन सप्लाई	किसी भी दिन सांय 6 बजे तक	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
76	57.	विद्युत	नेटवर्क इनवोल्वड के बिना विस्तार / इन्हानसमैंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन **नगर तथा कस्बे** ग्रामीण क्षेत्र–मीटर टैसटिंग	4 धण्टे 8 धण्टे	कनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज) कनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
77	58.	विद्युत	**मीटर शिकायतें** (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना – मीटर की टस्टिंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो / फास्ट मीटर / क्रीपिंग / स्टक / डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना – उपभोक्ता	7 दिन चैकिंग पर इसके स्थापित किये जाने के 7 दिन के भीतर 7 दिन 24 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)

			द्वारा प्रभारों के भुगतान के बाद				
78	59.	विद्युत	**नये कनैक्शन/ अतिरिक्त लोड/ मांग देना** **(a)** कनैक्शन देना जहां सेवाएं विद्यमान नेटवर्क से व्यवहार्य है	30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)

			(b)कनैक्शन देना जहां नेटवर्क एक्सपैंशन/ इनहान्समैन्ट कनैक्शन देने के लिए अपेक्षित है (सिवाय कृषि) (i)एल0टी0कनैक्शन के लिए (ii) 11 के0वी0 कनैक्शन के लिए (iii) 33 के0वी0 कनैक्शन के लिए (iv) 33 के0वी0 स्तर कनैक्शन से अधिक	30 दिन 71 दिन 90 दिन के भीतर 90 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एस0ई0 (ओ0पी0) एस0ई0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0) एस0ई0 (ओ0पी0) सी.ई.(ओ.पी.) सी.ई.(ओ.पी.)
79	60.	विद्युत	**शीर्ष का हस्तांतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण** (क) शीर्ष का हस्तांतरण तथा प्रवर्गो का परिवर्तन (ख)एल0टी0ऐकल फेज से एल0टी 3 फेज में संपरिवर्तन या परस्पर–भूगतान प्रभार की तिथी से (ग))एल0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर–भूगतान प्रभार की तिथी से (घ))एच0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर–भूगतान प्रभार की तिथी से	7 दिन 30 दिन 30 दिन 30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)

80	61	विद्युत	**मीटर/सेवा कनेक्शन और अन्य सेवाओं को बदलना ।** (i) मीटर/सेवा कनेक्शन को बदलना (ii) 11 के0वी0 तक एल0टी0/एच0टी0 लाईनों को बदलना । (iii) 11 के0वी0 से अधिक एच0टी0 लाईनों को बदलना । (iv) ट्रांस्फार्मर को बदलना ।	15 दिन 45 दिन 45 दिन 60 दिन के भीतर ।	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन) अधीक्षक अभियंता (आप्रेशन) अधीक्षक अभियंता (आपरेशन) अधीक्षक अभियंता (आपरेशन)
81	62.	विद्युत	उपभोक्ता बिल के बारे शिकायत और आपूर्ति को पुनः स्थापित करना । **यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है।**	24 घंटे	वाणिज्यिक सहायक वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
82			**यदि** कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है ।	7 दिन	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
83	63.	विद्युत	बिलों के भुगतान न करने के कारण काटी गई आपूर्ति को पुनः जोड़ना। **शहरों और नगरों – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।** **ग्रामिण क्षेत्र – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।**	6 धंटे 12 धंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
84	64	परिवहन	(i) नौ सिखिया चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना (ii) स्थाई चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना ।	5 दिन 7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

			(iii) चालन लाइसेंस का नवीकरण । (iv) डुप्लीकेट चालन लाइसेंस जारी करना (v) चालान लाइसेंस में नई श्रेणी का पृष्ठाकंन	37 दिन 7 दिन 7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
85	65	परिवहन	कन्डक्टर लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
86	66	परिवहन	(i) नये वाहनो का पंजीकरण। (ii) स्वामित्व का अंतरण। (iii) अनापति प्रमाण पत्र जारी करना । (iv) डुप्लीकेट आर0सी0 जारी करना। (v) कर समाशोधन प्रमाण पत्र।	7 दिन 37 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

			(vi) एच0पी0ए0 परिवर्धन/विलोपन	7 दिन	आर0ए0/आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
87	67	आवासन बोर्ड	अनापत्ति प्रमाण पत्र/डुपलीकेट आवटन/पुनः आवटन पत्र जारी करना ।	21 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड , हरियाणा
88	68	आवासन बोर्ड	(i) हस्तांतरण पत्र जारी करना। (ii) साधारण मुख्तारनामा के माध्यम से हस्तांतरण पत्र जारी करना ।	15 दिन 45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड , हरियाणा
89	69.	आवासन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
90	70.	आवासन बोर्ड	विक्रय के मामलें में सम्पति का अंतरण	15 दिन	सम्बद्व जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
91	71	आवासन बोर्ड	मृत्यु के मामलें में सम्पति का अंतरण (अविवादित)	45 दिन	सम्बद्व जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
92	72.	आवासन बोर्ड	गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्बद्व जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
93	73.	आवासन बोर्ड	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	7 दिन	सम्बद्व जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
94	74.	आवासन बोर्ड	स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु मामलो से अन्यथा)	45 दिन	सम्बद्व जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
95	75.	आवासन बोर्ड	प्लाट का सीमांकन	21 दिन	उपमण्डल अभियंता	कार्यकारी अभियंता	मुख्य अभियंता
96	78	कृषि	बीज विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक

97	79	कृषि	कीटनाशक विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
98	80	कृषि	पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
99	81	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
100	82	कृषि	पावती रसीद/उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
101	83	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
102	84	कृषि	कीटनाशक विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
103	85	कृषि	पावती रसीद/उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
104	86	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	अनापन्ति प्रमाण पत्र /डुप्लीकेट आंबटन जारी करना।	30 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
105	87	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	हस्तांतरण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
106	88	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
107	89	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलें में सम्पति का पुनः अतंरण	30 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
108	90.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलें में सम्पति का पुनः अतंरण (अविवादित मृत्यु)	60 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
109	91.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	किसानो को जे0 फार्म जारी करना	1 दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या सहायक सचिव	डी0एम0ई0ओ0	डी0एम0ई0ओ0

110	92.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुगृहपूर्वक) प्रदान करना **मृत्यु केसों में विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद चोट के केसों में**	30 दिन, 60 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
111	93	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	गिरवी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्व सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
112	94.	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन–I की पावती जारी करना	3 दिन	संयक्त निदेशक/उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
113	95	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट,2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन–II की पावती जारी करना	3 दिन	संयक्त निदेशक/उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
114	96.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण	10 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
115	97.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण का नवीकरण	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
116	98	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मरम्मत के लिए अनुमोदन	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
117	99	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

118	100	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिग के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
119	101	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
120	102	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिग के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
121	103	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के अधीन संसाधन के लिए नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
122	104	उद्योग एवं वाणिज्य	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
123	105	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म का पंजीकरण	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
124	106	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
125	107	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी

126	108	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों का पंजीकरण	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
127	109	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों के नाम का अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
128	110	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन शासकीय निकाय का अनुमोदन	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
129	111	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी के नाम/ पजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
130	112	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के अनुमोदन	60 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
131	113	हरियाणा राज्य ओद्यौगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवन योजना/ पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (ओद्यौगिक/ आवासीय)	15 दिन	सम्बद्व उपनगर योजनाकार/ वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
132	114	सम	भवन योजना/ पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (वाणिज्यिक)	30 दिन	सम्बद्व उपनगर योजनाकार/ वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक

133	115	सम	भवनो के लिय समापन/ अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्व उपनगर योजनाकार/ वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
134	116	सम	अनापत्ति प्रमाण पत्र/डुपलीकेट आबंटन /पुनः आबंटन पत्र जारी करना	20 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
135	117	सम	हस्तांतरण विलेख	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
136	118	सम	बेबाकी प्रमाण पत्र	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
137	119	सम	विक्रय आदि के मामलो में प्लाटो का अतंरण	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
138	120	सम	प्लाटों का स्थानान्तरण (अनकान्टेसिटेड)	45 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
139	121	सम	गिरवी जारी करने के लिए अनुमति	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
140	122	सम	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	3 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
141	123	सम	स्वामित्व परिवर्तन (मृत्यु मामलों से अन्यथा)	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
142	124	सम	प्लाटों का सीमांकन	5 दिन	एस0 टी 0पी	सी0टी0पी0	प्रबन्ध निदेशक
143	125	सम	कुरसी सार तक प्रमाण पत्र जारी करना	7 दिन	डी0 टी0 पी0/एस0 टी 0पी	सी0टी0पी0	प्रबन्ध निदेशक
144	126	सम	जल एवं सीवरेज कन्क्शैन	15 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
145	127	सम	आई ई/आई डी ए में भूमि/शेड का आबंटन	60 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	जी एम, हरियाणा राज्य ओद्यौगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक
146	128	खाद्य तथा आपूर्ति	(i)डी–1 फार्म प्राप्त होने पर राशन कार्ड जारी करना जैसे कि सभी वर्ग के लिए प्रार्थना फार्म	22 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0पी0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
			(ii)परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0पी0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त

			होने पर नया राशन कार्ड जारी करना ।				
			(iii)दूसरा राशन कार्ड जारी करना	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
			(iv) परिवार के सदस्य का समावेस / विलोप	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
			(v)उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलना ।	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
			(vi)पता बदलने के अतंगर्त एफ0पी0एस0 बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
			(vii)परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना / राशन कार्ड / सदस्य पलायन / राशन कार्ड स्थानान्तरण / राशन कार्ड परित्याग प्रार्थना पत्र ।	7 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
			(viii) राशन कार्ड डाटा सुधार एवं घर के मुख्या संशोधन ।	7 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
147	129	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन का नक्शा / भवन के संशोधित नक्शों की स्वीकृति	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
148	130	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन के लिए सम्पूर्ण अधिपत्य प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
149	131	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (तबादला अनुमति / दूसरा आबंटन पत्र / पुनः आबंटन पत्र)	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
150	132	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	हस्तांतरण विलेख जारी करना	20 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
151	133	हरियाणा शहरी विकास	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय

		प्राधिकरण					
152	134	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	विक्रय के मामले में सम्पति का अंतरण	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
153	135	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	मृत्यु (अविवादित) के मामले में सम्पति का अंतरण	45 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
154	136	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
155	137	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
156	138	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु के मामले से अन्यथा)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
157	139	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	प्लाटों का सीमांकन	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
158	140	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	कुरसी (डी पी सी) प्रमाण पत्र जारी करना	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
159	141	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जल आपुर्ति तथा मल जल कनैक्शन	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता/एस डी ई हुड्डा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
160	142	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जल आपुर्ति तथा मल जल कनैक्शन की स्वीकृति (औद्योगिक)	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता/एस डी ई हुड्डा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
161	143	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	गिरवी प्रथम प्रवाह (औद्योगिक)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
162	144	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	नियंत्रित क्षेत्र तथा समरूप जोन (सरकार की सक्षता के सिवाए) के अंतिम प्रकाशित	60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अपर सचिव नगर तथा ग्राम आयोजना	.....

			विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग अनुज्ञा का परिवर्तन				
163	145	नगर तथा ग्राम आयोजना	नियंत्रित क्षेत्र से बाहर इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र किन्तु नगरीय क्षेत्र के भीतर	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
164	146	नगर तथा ग्राम आयोजना	नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र	10 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
165	147	नगर तथा ग्राम आयोजना	(i) पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियमित विकास अधिनियम,1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत ईंट भट्ठों, व लकड़ी का कोयला भट्ठों, के लिए लाईसेंस	30 दिन	जिला नगर योजनाकार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
166			.(ii) पंजाब अनुसूचित सड़क के प्रावधानों और अनियमित विकास अधिनियम,1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत स्टोन केश्रर, के लिए लाईसेंस	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
167	148	नगर तथा ग्राम आयोजना	निम्न साइट/प्लाट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृतिः– 1) लाइसेंस आवासीय प्लाट कालोनियां 2) औद्योगिक प्लाट कालोनियां 3)सी एल यू गारंटड साइट जिनका क्षेत्रफल 2.0 एकड़ (8093.70 वर्ग मी0) तक है	45 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
168	149	नगर तथा ग्राम आयोजना	निम्न साइट/प्लाट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृतिः–	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना

			1) लाईसेंस प्राप्त कलोनी में समुदाय साईटें जिनका क्षेत्र 5. 0 एकड (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 2) सी एल यू प्राप्त साइटें जिनका क्षेत्रफल 2 एकड (8093.70 वर्ग मीटर) से 5.0 एकड (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 3) आवासीय प्लोटड एवं औद्योगिक प्लोटड कलोनियों में वाणिज्यिक धटक जिनका क्षेत्रफल 2 एकड है। 4) सभी सी एल यू प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं				
169	150.	नगर तथा ग्राम आयोजना	(क) क्रम संरूया 148 और 149 के इलावा अन्य साइट की योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइट जिनका क्षेत्र 5.00 एकड् (20234.25 वर्ग मीटर)से अधिक है के निर्माण की स्वीकृति	90 दिन 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना
170	151	नगर तथा ग्राम आयोजना	क्रम संख्या 148 पर वर्णित भवन जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	45 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
171	152	नगर तथा ग्राम आयोजना	क्रम संख्या 149 पर वर्णित भवनों के लिए प्लाट क्षेत्र जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
172	153	नगर तथा ग्राम आयोजना	(क) क्रम संख्या 150 एव 151 पर वर्णित मामलों को छोडकर जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	90 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तााि ग्राम आयोजना	

			(ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइटें जिनका क्षेत्र 5.00 एकड् (20234.25 वर्ग मीटर) से अधिक है का कब्जा प्रमाण पत्र।	60 दिन			
173	154	नगर तथा ग्राम आयोजना	हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन विवाह का पंजीकरण– उपबन्धित 15 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति बाद	3 दिन	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र में) सचिव नगर समिति (शहरी क्षेत्र) उप/संयुक्त नगरायुक्त (नगर निगम)	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट उप मण्डल मैजिस्ट्रेट नगरायुक्त	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त
174	155	गृह	क) शस्त्र लाईसेंस का नवीकरण (यदि लाईसेंस समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा लाईसेंस जारी करने वाला जिला वही जहां सेवा मागी गई है)	15 दिन	उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	जिला मैजीस्ट्रेट पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजीस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	.– – – – –
175			ख)शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण छह वर्ष की प्रत्येक साईकिल के बाद प्रस्तुत किया गया हो जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक हैं	22 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	– मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त

176	156	गृह	हथियार का जमा करना/काटना (यदि अनुज्ञाप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेंवाएं मांगी गई हैं)– आवश्यक नोटिस के समाप्त होने के 45 दिन	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	– मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
177	157	गृह	हथियार खरीदने के समय का विस्तार, (यदि अनुज्ञप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेवाएं मांगी गई है और समय की अनुमति के दौरान)	7 दिन	जिला मैजीस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	– मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
178	158	गृह	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन तथा प्रस्थान)	तत्काल	सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अम्बाला तथा पंचकूला जिले	पुलिस आयुक्त, अम्बाला तथा पंचकूला जिले	पुलिस आयुक्त

					सहायक पुलिस आयुक्त/ मुख्यालय गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिला विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ)	उप पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद	पुलिस आयुक्त
					उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस अधीक्षक	आई. जी. रेंज
179	159	गृह	विदेशियों के आवासीय प्रमिट का विस्तार	5 दिन	सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय अम्बाला/ शहरी क्षेत्र, पंचकूला/अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र	पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त
					सहायक संयुक्त पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद (मुख्यालय) विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ)	उप पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त
					उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलो के सिवाए	पुलिस अधीक्षक	आई. जी. रेंज
180	60	गृह	एफ.आई. आर अथवा डी.डी. आर की प्रति	शीघ्र/ आनलाईन	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
181	161.	गृह	लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनापति प्रमाण पत्र (अनुमति प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित थाना गृह अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र अथवा	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए)	जिला मैजिस्ट्रेट/ उपायुक्त	मण्डलायुक्त

			मंडल मैजिस्ट्रेट की दशा में केवल लागू)		उप सहायक पुलिस आयुक्त अम्बाला तथा पंचकूला जिला मुख्यालय सहायक/ पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय/ पुलिस आयुक्त फरीदाबाद तथा गुड़गांव विदेशी पंजीकृत अधिकारी (एफ आर ओ)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
182	162	गृह	फेयर/मेला/ प्रदर्शनी/खेल आयोजन इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) सहायक/उपायुक्त / मुख्यालय/ अम्बाला तथा पंचकूला जिला संयुक्त/ सहायक पुलिस उप आयुक्त फरीदाबाद तथा गुड़गांव (मुख्यालय)	उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
183	163	गृह	अपरिचित सत्यापन (अन्य जिले/ राज्य सत्यापन प्राप्त करने के बाद जिसका निवास अपरिचित है)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
184	164	गृह	किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि आवासीय या स्थानीय क्षेत्र)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
185	165	गृह	किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि अन्य जिला/राज्य के आवासीय तथा अन्य जिले/ राज्य से सत्यापन की प्राप्ति के बाद)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त

186	165	गृह	सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सत्यापन	30 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
187	167	गृह	सड़क दुर्घटना मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
188	168	गृह	चोरी हुए मामलों में वाहनों के मामलों में अनट्रेसड	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
189	169.	गृह	चोरी के मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	60 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
190	170.	गृह	पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
191	171.	गृह	सेवा सत्यापन (हरियाणा निवासी के मामलें में)	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
192	172	गृह	चरित्र सत्यापन	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
193	173	गृह	हथियार लाईसैंस के नवीकरण के लिए सत्यापन	22 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) डी.सी.पी. (पंचकुला तथा अम्बाला जिले) उपमण्डल मैजिस्ट्रेट/न्यायधीष (फरीदाबाद,पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
194	174	गृह	हथियार व्यवहारियों के लाईसैंस को जारी करने/नवीकरण के लिए	15 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त

			अनापत्ति		उप पुलिस उपायुक्त (अम्बाला तथा पंचकुला) जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोडकर)	पुलिस आयुक्त मण्डलायुक्त	मण्डलायुक्त —————
195	175	गृह	पैट्रोल पंप, सिनेमा हाल इत्यादि स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	15 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोडकर)	मण्डलायुक्त	—————
					पुलिस आयुक्त (फरीदाबाद,पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलें)	मण्डलायुक्त	–
196	176	गृह	पासपोर्ट सत्यापन	21 दिन	संबंन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस आयुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
197	177	गृह	नये हथियार लाईसेंस के लिए सत्यापन	30 दिन	उपायुक्त (पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए)	मण्डलायुक्त	–
					संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिले)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त
					उप पुलिस आयुक्त (पंचकूला)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
					उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त
					उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त

198	178	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	लाडली सामजिक सुरक्षा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
199	179	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बुढापा सम्मान भत्ता (पेंशन स्कीम)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
200	180	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग पेंशन	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
201	181	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
202	182	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बेसहारा बच्चों के लिए वितीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
203	183	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वितीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
204	184	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते के लिए वितीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
205	185	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बौना भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
206	186	सामजिक न्याय और अधिकारिता	हिजडा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त

		विभाग					
207	187	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	एच एस सी एस टी के लिए आवेदन फार्म पी एच डी करने के लिए फैलोशिप फार्म	4 मास	मुख्य विज्ञानिक इंजीनियर एच एस सी एस टी	सचिव/ई0 सी0 एच एस सी एस टी	अध्यक्ष/ई सी एच एस सी एस टी
208	188	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान शिक्षा को बढावा देने के लिए आवेदन फार्म (POSE) बी.एस.सी और एम.एस.सी के छात्रों के लिए छात्रवृति – समापन के बाद	4 महीने	विज्ञानिक इंजीनियर(ए) एस जी	प्रधान विज्ञानिक(एस जी)	निदेशक
209	189	श्रम विभाग	1)1970 ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और लाईसेंस पंजीकरण	26 दिन	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
210			2) कारखाना अधिनियम,1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
211			3) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना लाईसेंस	45दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरिक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
212			4)दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकार का पंजीकरण	15दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
213			5) ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) अधीन ठेकेदारों के लाइसैंस का नवीनीकरण	26दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार

214			6) कारखानो अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के प्रावधानों के अधीन लाइसैंस का नवीनीकरण	45दिन	अपर अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक	श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक हरियाणा	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
215			7) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण का का नवीनीकरण	15दिन	श्रम निरिक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त
216	190.	वन विभाग	पेड़ो की कटाई की अनुमति	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
217	191.	वन विभाग	पी एल पी ए अथवा वन अथवा वन क्षेत्र से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
218	192.	बागवानी विभाग	हारनेट– पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप–निदेशक उद्यान (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) उ.नि.उ (एन.एच.एम.)	संयुक्त निदेशक	मिशन निदेशक
219	193	बागवानी विभाग	मिंट– पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	16 दिन	उप–निदेशक उद्यान (सूक्ष्म सिंचाई) उ.नि.उ (एम.आई)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
220	194.	बागवानी विभाग	फ्रूट लाईंसेंस– फलदार पौधों की नर्सरी हेतू लाईंसेंस जारी करना।	90 दिन	उप–निदेशक उद्यान (प्रोजेक्ट व नर्सरी) उ.नि.उ (पी.एन.)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
221	195	बागवानी विभाग	पॉलीनेट– पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप–निदेशक उद्यान (फल) उ.नि.उ (फ)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
222	196.	बागवानी विभाग	सीड लाईसेंस– सब्जी बीज की बिक्री हेतू लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप–निदेशक उद्यान (सब्जी) उ.नि.उ (स)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
223	197.	मत्स्य विभाग	मत्स्य किसान विकास एजेन्सी के अंतर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाऐं:– i) मछली तालाब हेतू भूमि	10 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजैन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।

			का चुनाव ii) योजना और तलाब का अनुमान iii) ऋण हेतू बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	15 दिन 15 दिन 30 दिन			
224	198		जलमग्न भूमि क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाऐं i) मछली तालाब हेतू भूमि का चुनाव ii) योजना और तलाब का अनुमान iii) ऋण हेतू बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। v) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजैन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
225	199		मत्स्य पालकों को राजकीय मत्स्य बीज फार्मों से मत्स्य बीज सप्लाई की सेवाऐं –मत्स्य बीज संचय करना।	मास फरवरी/मार्च/ जुलाई/अगस्त/ सितम्बर	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजैन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।